रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 805] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2015/अग्रहायण 27, 1937
No. 805] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2015/AGRAHAYANA 27, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 992(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर विभाग(समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2003 से संबंधित स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य समूह) का अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के. प्र. कर बोर्ड) में **स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य समूह**) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, स्टाफ कार ड्राईवर (सामान्य समूह) वर्ग 'ग' पद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमानः–** उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उसमें संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों की अनुलग्नक अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अन्य अर्हताएं आदिः–** भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरी द्वारा केवल अपने क्षेत्र के संबंधित संवर्ग के व्यक्तियों में से ही की जाएगी, जैसा कि अनुसूची के कॉलम 11 में दर्शाया गया है।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है।

5. **षिथिल करने की षक्ति.**—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	**पद संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन–बैंड तथा ग्रेड वेतन**	**चयन और अचयन पद**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड)	(197)'(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन–बैंड–1 5200–20200+ग्रेड वेतन 1900/–रुपए	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं**	**सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**
6	**7**	**8**	**9**
18–25 वर्ष ** (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों व अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक की आयुसीमा में छूट दी जा सकती है) **टिप्पणी**: भारत में प्रतिभागियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख, वह तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे गए हैं, न कि वर्णित राज्यों में निर्धारित की गई तारीख होगी। (असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य में लद्दाख का क्षेत्र लाहुल एवं स्पीति– जिला तथा चम्बा का उप जिला पंगी, हिमाचल प्रदेश का जिला, लक्षद्वीप का अण्डमान निकोबार) **यदि 'सीधी भर्ती' निष्पक्ष सीधे प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा हो, तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष होगी।	आवश्यक (i) मोटर–कार चालक के लिए मान्यता प्राप्त ड्राईविंग लाइसेंस हो। (ii) मोटर–ठीक करने का ज्ञान (आवेदक को वाहन में आने वाली छोटी–छोटी खराबी को ठीक करने का ज्ञान हो) (iii) मोटर–कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव एवं (iv) दसवीं कक्षा पास हो। **वांछनीयः** होम–गार्ड/सिविल–वालंटिअर (स्वयं–सेवक) के रूप में तीन वर्ष की सेवा। **टिप्पणी**: 1: अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट सक्षम–प्राधिकारी के विवेकाधीन पर निर्भर है। **टिप्पणी 2**: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती अथवा पुनः नियुक्ति वालों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति	**प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड(श्रेणिया) जिनसे**

द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	**प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/समामेलन किया जाएगा।**
10	11
प्रतिनियुक्ति/समामेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्ति।	**प्रतिनियुक्ति/समामेलनः** नियमित प्रेषण–वाहक (समूह 'ग') एवं समूह 'ग' कर्मचारी जो वेतन–बैंड 1 5200–20200 ग्रेड वेतन 1800रू. में से .... हो (संगठन का नाम उद्धृत करें।) (जिसके पास वास्तव में मोटर–कार को ड्राइव करने का मान्यता प्राप्त ड्राईविंग लाइसेंस प्राप्त हो, जिसके न होने पर केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के कर्मचारी, जो नियमित आधार पर प्रेषण–वाहक के पद पर हो या नियमित समूह 'ग' कर्मचारी वेतन बैंड 1 5200–20200, ग्रेड वेतन–1800रू. के पद पर हो तथा कॉलम–7 में उद्धृत आवश्यक अर्हताओं को पूरा करते हों। **सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्तिः** सशस्त्र सेना कार्मिक जो सेवा निवृत्त होने वाले हैं या जो एक वर्ष की अवधि के दौरान स्थानांतरित किए जाने के लिए आरक्षित हो तथा जिनके पास अपेक्षित अनुभव एवं अर्हताएं हों उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति की शर्तों के आधार पर उनके सशस्त्र सेना सेवा से कार्यमुक्त होने की तारीख तक, सेवा में रखा जाएगा। उसके पश्चात उन्हें पुनः नियुक्ति, पर नियमित किया जाएगा। **टिप्पणीः** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कॉडर पद पर प्रतियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी। प्रतिनियुक्ति/ समामेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरंचना	**भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से किन परिस्थितियों में परामर्श लिया जाएगा**
12	**13**
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति के लिए) 1. प्रधान मु. आ. आ.(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त.(मुख्या.) —अध्यक्ष 2. प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त(सं.नि.प्रा.) द्वारा नामित आयकर उपायुक्त —सदस्य 3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के स्थानीय उपायुक्त, —सदस्य 4. प्रधान मु.आ.आ.(सं.नि.प्र.) द्वारा नामित एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अधिकारी जिसका पद आयकर उपायुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो । —सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. एचआरडी/सीएम/121/09/2014–15/डायरी सं. 1606/2015–प्रशा. 7]

जती सिंह मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2015

G.S.R. 992(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Income Tax Department (Group C Posts), Recruitment Rules, 2003 relating to Staff Car Driver (Ordinary Grade) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of **Staff Car Driver (Ordinary Grade)** in the Central Board of Direct Taxes (CBDT), Department of Revenue, Ministry of Finance.

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, Staff Car Driver (Ordinary Grade) Group C Posts, Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, Classification and scale of pay. - The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

Provided that the recruitment by promotion against posts in the Region of a Cadre Controlling Authority shall be made only from amongst persons belonging to the cadres of that Region, as indicated against column 11 of the Schedule.

4. Disqualifications – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing, in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and any other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether Selection or Non-Selection post
1	2	3	4	5
Staff Car Driver (Ordinary Grade)	[197]*(2015) *Subject to variation depending on workload	General Central Services, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Pay Band-I, Rs. 5200-20200 + Grade Pay of Rs. 1900.	Not Applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9
18-25 years** (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul&Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman& Nicobar Islands of Lakshadweep .) ** If the 'direct recruitment' is to be made by 'direct open competitive Examination, the age limit would be 18-27 years.	**Essential:** (i) Possession of a valid driving license for motor cars; (ii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor-defects in vehicle); (iii) Experience of driving a motor car for at least 3 years.; and (iv) Pass in 10th standard. **Desirable :** 3 years' service as Home Guard/Civil Volunteers. Note 1 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years for direct recruits or re-employed.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	**In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made**
10	**11**
Deputation/ absorption failing which by direct recruitment. For Armed Forces Personnel : Deputation/re-employment.	**Deputation/Absorption:** From amongst the regular Dispatch Rider (Group C) and Group C employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade pay Rs. 1800 in the ______ (mention the name of the organization) who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars failing which from officials holding the post of Dispatch Rider on regular basis or regular Group C employees in Pay Band 1 Rs. 5200-20200 Grade pay Rs. 1800 in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column 7. **Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding 56 years' as on the closing date of receipt of applications.
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
12	**13**
Group `C' Department Promotion Committee (for deputation/re-employment / absorption):- 1. Addl./JCIT(Hqrs.) nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Chairman 2. Dy. CIT to be nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Member 3. Local Dy. Commissioner of C&CE -Member	Not Applicable.

4. One SC/ST Officer not below the rank of DCIT or Liaison Officer, as nominated by the Pr. CCIT(CCA) - Member	

[F. No. HRD/CM/121/09/2014-15/Dy. No.1606/2015-Ad.VII]

JATI SINGH MEENA, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.